(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 940-दो/2006 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 7-3-2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 3/2001-02 निगरानी

1- कमलेश कुमार पुत्र स्व. मोतीलाल ब्राहमण
2- महिला सत्यभामा पत्नि मोतीलाल ब्राहमण
दोनों ग्राम तेंदुआ बेलान तहसील हनुमना
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- भीमसेन 2- रजनीश पुत्रगण स्व.रामसुखद ब्राहमण
3- मु0 गदौआ पत्नि स्व. रामसुखद ब्राहमण
तीनों ग्राम तेंदुआ बेलान तहसील हनुमना जिला रीवा --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 14-09-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-3-06 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने नायव तहसीलदार वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम तेंदुआ वेलान की भूमि सर्वे क्रमांक 179 के अंश रकबा 0.10 आरे (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर अपॅजीकृत विलेख (पाट) के आधार पर नामान्तरण की मांग

की । नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 56 अ-6/98-99 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की , जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उनके पिता ने वादग्रस्त भूमि का आवेदक के पक्ष में कोई हस्तांतरण नहीं किया है दस्तावेज फर्जी व बनावटी है। नायव तहसीलदार ने आपत्ति पर निर्णय न लेते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 29-5-2000 से प्रकरण आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 282 अ-6/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-9-01 से नायव तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 29-5-2000 निरस्त कर दिया तथा निगरानी स्वीकार की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 3/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-3-06 से निगरानी निरस्त की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि भले ही अपॅजीकृत विक्रय पत्र वर्ष 1978 के आधार नामान्तरण की मांग की गई है किंतु विक्रय पत्र वर्ष 1978 में संपादित होने के वाद वादग्रस्त भूमि का आवेदकगण ने कब्जा प्राप्त कर लिया है एंव काविज चले आ रहे है । विक्रय पत्र संपादन उपरांत कब्जा सौंप देने के वादग्रस्त भूमि से अनावेदकगण का कोई सरोकार नहीं है इसलिये आवेदकगण नामान्तरण कराने के पात्र है । अपर कलेक्टर एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग ने आदेशों में निष्कर्ष निकाला है कि अपॅजीकृत विक्रय पत्र वर्ष 1978 के आधार पर नायव तहसीलदार के समक्ष 22 वर्ष उपरांत नामान्तरण आवेदन दिया गया है । विक्रय पत्र (कच्चा पाट) अपॅजीकृत है इसलिये आवेदकगण नामान्तरण कराने के पात्र नहीं है इस आपत्ति पर सर्वप्रथम नायव तहसीलदार को विचार करना चाहिये था किन्तु नायव तहसीलदार ने आपत्ति आवेदन पर निर्णय न लेते हुये प्रकरण आवेदकगण की साक्ष्य हेतु नियत करने में भूल की है। जहॉ तक दीर्घकाल से कब्जा प्राप्ति उपरांत स्वत्व प्राप्त कर लेने

से नामान्तरण किये जाने वावत् की गई मांग का प्रश्न है ? स्वत्व के मामले के निराकरण के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस संबंध में आवेदकगण सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र हैं। अपर कलेक्टर रीवा व्दारा आदेश दिनांक 26-9-2001 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्रकरण कमांक 3/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-3-06 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 3/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-3-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर